न्यायायल उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वीनरेश आर.ए.एस

प्रार्थना पत्र संख्या ::– 102/2022

1. प्रेमसिंह पिता रूपसिंह जी जाति राजपूत निवासी महेसरा तह0 बेगूँ
2. मंजुकंवर पुत्री रूपसिंह जी जाति राजपूत निवासी महेसरा तह0 बेगूँ
3. सत्तुकंवर पुत्री रूपसिंह जी जाति राजूपत निवासी महेसरा तह0 बेगूँ

प्रार्थीगण

बनाम

1. रूपसिंह पिता कल्याणसिंह जी राजपूत निवासी महेसरा तह0 बेगूँ
2. श्रीमान भूमिधारी तहसीलदार साहब बेगूँ जिला चितौडगढ़

विपक्षीगण

उपस्थित ::– श्री अशोक कुमार शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री तहसीलदार, बेगूँ
पैरोकार सरकार

आदेश दिनांक ::– 28-03-2025

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र इस प्रकार से है कि हम प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात मौजा ग्राम महेसरा प.ह. राजगढ तह0 बेगूँ की संवत 2078 की खाता संख्या 81 में अंकित आराजीयात की तफसील निम्न प्रकार है :–

खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
81	234/1	0.0500
	54/1	0.0900
	55/1	0.4600
	56/1	0.1300
	57/1	0.1200
	कीता–5	कुल रकबा 0.8500 हैक्टर

यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या एक में अंकितं आराजीयात हम प्रार्थीग्ण व विपक्षी संख्या एक के संयुक्त खातेदारी में अंकित थी, विपक्षी संख्या एक रिश्ते में हम प्रार्थीगण के पिता है उक्त संयुक्त खातेदारी की आराजीयात का माननीय न्यायालय श्रीमान आप में एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,88,188 रा.टी.एक्ट का दिनांक 20.02.2008 को निर्णित कर मौके पर कब्जे अनुसार एवं अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी भूमि का विभाजन कराये जाने का आदेश पारित किया था। उक्त आदेश की पालना में तत्काली राजस्व कर्मचारियों की गलती से मौके पर कब्जे अनुसर उक्त आराजीयात का राजस्व रेकार्ड के नक्शे में विभाजन उत्तर से दक्षिण के बजाय पूर्व से पश्चिम कर दिया है,जबकि प्रार्थीगण मौके पर माननीय न्यायलय श्रीमान के आदेश दिनांक 20.02.2008 से उत्तर से दक्षिण दिशा में उक्त प्रार्थना पत्र वर्णित आराजीयात पर काबिज हो काश्त करते आ रहे है।

यह कि तत्कालीन रेवेन्यु इंसपेक्टर व हलका पटवारी द्वारा प्राथ्रीगण की आराजीयात का राजस्व रेकार्ड के नक्शे में उत्तर से दक्षिण के बजाय पूर्व से पश्चिम दिशा में तरमीम कर दी गई है जिससे प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या एक के मध्य आये दिन फसल को काटते व बोते समय सीमा एवं लगान संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। उक्त तरमीम को जरिये शुद्धीकरण के राजसव रेकार्ड नक्शे में पूर्व से पश्चिम दिशा के बजाय उत्तर से दक्षिण दिशा में तरमीम किया जाना न्यायहित आवश्यक है। इतना ही नही राजस्व रेकार्ड के नक्शे में राजस्व कर्मचारियो की गलती से तरमीम कर दिये जाने से प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या एक के मध्य रकबा संबंधी भी विवाद उत्पन्न होता रहता है। प्रार्थीगण की आराजीयात का विपक्षी संख्या एक के खाते की आराजीयात में तरमीम हो गई है जिससे जरिये शुद्धीकरण के राजसव रेकार्ड में ऑनलाईन एवं आफ लाईन के नक्शे में प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या एक की मौके पर कब्जे अनुसार तरमीम किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चितौड़गढ़)

यह कि उक्त आराजीयात की राजस्व रेकार्ड के नक्शे में शुद्धीकरण कराने हेत प्रार्थीगण ने विपक्षरी संख्या एक को कहा कि अपनी अपनी आराजीयात का मौके पर कब्जे अनुसार तरमीम कराने के लिये कहा तो विपक्षी संख्या एक ने कहा कि मै वुर्जुग व्यक्ति हूँ आप कानूनी कार्यवाही करके आराजीयात का नक्शे में शुद्धीकरण कराओ तो उसमें मुझ विपक्षी संख्यसा एक की पूर्ण सहमति है। प्रार्थीगण की उक्त वर्णित कृषि आराजीयात से भूमि ऋण प्राप्त करने हेतु हल्का पटवारी से नकल जमाबंदी प्राप्त की तो उक्त जानकारी में आया कि राजसव रेकार्ड में हम प्रार्थीगण की उक्त आराजी संख्या 234/1, 54/1, 55/1, 57/1 कुल कीता–5 भूमि की उत्तर से दक्षिण दिशा के बजाय पूर्व से पश्चिम दिशा में दज हो गयी है इसलिये उक्त आराजीयात के राजस्व नक्शे में उत्तर से दक्षिण दिशा में तरमीम किया जाना न्यायोचित होगा। प्रार्थना पत्र की सुनवाई का क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार न्यायालय श्रीमान को प्राप्त होने से प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान मे पेश है।

अतः न्यायालय रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी संख्या 234/1, 54/1, 55/1, 57/1 कुल कीता–5 भूमि की मौके पर कब्जे अनुसार राजस्व रेकार्ड के नक्शे मे वर्तमान ऑन लाईन के नक्शे में भी पूर्व से पश्चिम दिशा के बजाय उत्तर दक्षिण दिशा जरिये शुद्धीकरण के राजस्व रेकार्ड के नक्शे में तरमीम किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, न्यायालय में बावजूद सूचना के विपक्षी संख्या 1 के उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश न्यायालय द्वारा दिये गये जबकि विपक्षी संख्या 2 तहसीलदार भूमिधारी उपस्थित आए तथा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करते हुए अपने जवाब में निवेदन इस प्रकार से किया कि प्रार्थना पत्र की कलम नं. 1 रेकार्ड से प्रमाणित हैं यह प्रार्थना पत्र की कलम नं. 2 का जवाब इस प्रकार है कि जमाबंदी सम्वत 2062–65 में आराजी नम्बर 55, 56, 59, 65, 66, 67, 68, 69, 234, 564/56, 565/67, 53, 54, 57, 63, 64, कीता–16 रकबा 5.12 हैक्टर खातेदार भंवरसिंह रूपसिंह विकमसिंह पिता कल्याणसिंह राजपूत सा. देह के नाम दर्ज रेकार्ड थी। माननीय न्यायालय सहायक कलेक्टर बेगूँ द्वारा वाद संख्या 46/05 अनवान प्रेमसिंह बनाम भंवरसिंह अन्तर्गग्त धारा 53, 188, 83 में पारित प्राथमिक डिकी अनुसार मौके पर कब्जे अनुसार एवं अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी भूमि का विभाजन कराये जाने की पालना में तत्कालीन राजस्व कर्मियो द्वारा प्रार्थीगण की उपस्थिती में कब्जे अनुसार फर्द बंटवारा तैयार कर न्यायालयम पेश किया गया। उक्त फर्द बंटवारे अनुसार न्यायालय द्वारा पारित अंतिम डिकी की पालना में पारित ईजराय संख्या 31/08 के तहत ग्राम महेसरा में नामान्तरण संख्या 375 दर्ज किया जाकर डिकी अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम की गई। इस प्रकार राजस्व कर्मियो द्वारा न्यायालय आदेशानुसार राजस्व नक्शे में पूर्व से पश्चिम तरमीम की गई है जो सही है। विभाजन कब्जे अनुसार किया गया तरमीम भी उसी अनुसार की गई है। प्रार्थी अब अपना कब्जा परिवर्तन कर नक्शे में उसी अनुसार तरमीम करवाना चाहते है जो विधि विरूद्ध होकर प्रकरण राजस्व भू राजस्व अधि.1956 की धारा 136 के तहत दर्ज होने योगय नहीं हैं। अतः प्रकरण खारिज फरमाया जावें।

यह कि प्रार्थना पत्र का कलम नं. 3का जवाब इस प्रकार है कि तत्कालीन रेवेन्यु इंसपेक्टर व हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थीगण की आराजीयात का राजस्व रेकार्ड के नक्शे में न्यायालय की डिकी अनुसार तरमीम की गई है। प्रार्थी यदि उक्तानुसार विभाजन से सहमत नहीं थे उन्हें उक्त की अपील करनी चाहिये थी। इस प्रकार उक्त प्रकरण न्यायालय भू राजस्व अधि. की धारा 136 तरमीम शुद्धी का नहीं होकर अपीलीय है। अतः प्रकरण खारिज फरमाया जावें।

यह कि कालम नं. 4 का जवाब इस प्रकार है कि उक्त आराजीयात विभाजन से पूर्व भंवरसिंह विकमसिंह पिता कल्याणसिंह राजपूत के नाम दर्ज रेकार्ड थी । जबकि उक्त प्रकरण में मात्र रूपसिंह पिता कल्याणसिंह को पक्षकार बनाया गया है। तरमीम की दिशा बदले जाने पर अन्य पक्षकार भंवरसिंह विकमसिंह भी इससे प्रभावित होगें। अतः प्रकरण खारिज फरमाया जावें।

यह कि कलम नं. 5 का जवाब इस प्रकार है कि चूँकि उक्त तरमीम माननयी न्यायालय सहायक कलेक्टर बेगूँ द्वारा वाद संख्या 46/05 अनवान प्रे मसिंह बनाम भंवरसिंह अन्तर्गत धारा 53,188,83 में पारित अंतिम डिकी पालना में की गई है। प्रार्थी प्रेमसिंह द्वारा उक्त वाद न्यायालय में

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

कर अनुतोष प्राप्त किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी को बंटवारा व उसके अनुसार की गई तरमीम की जानकारी थी। प्रार्थी द्वारा यह कहना कि उसे उक्त कृषि आराजीयता में भूमि ऋण प्राप्त करने हेतु हल्का पटवारी से नकल जमाबंदी प्राप्त की तो उक्त जानकारी में आया कि तरमीम गलत की है। उक्त कथन मिथ्या एवं मनगढन्त है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

यह कि कलम नं. 6 का जवाब इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण राज. भू राजस्व अधि. की धारा 136 के तहत तरमीम शुद्धि का नहीं है। प्रकरण मे न्यायालय श्रीमान के आदेश की पालना में तरमीम की गई है ।उक्त प्रकरण न्यायालय श्रीमान के क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का नहीं है।

अतः श्रीमान के समक्ष जवाब प्रार्थना पत्र पेश है।

पत्रावली पर जवाब प्रार्थना पत्र विपक्षी संख्या 2 के द्वारा प्रस्तुत किये जाने के पश्चात प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर.एक्ट पर बहस ध्यानपूर्वक सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी की जमीन पिता के हिस्से में आयी है। बंटवारा रिपोर्ट में हस्ताक्षर खाली कागज पर करवाये गये थें। प्रार्थीगण उत्तर से दक्षिण हो काबिज काश्त कर रहे है। परन्तु तरमीम पूर्व से पश्चिम दिशा में की गयी। प्रार्थीगण अपने कब्जे अनुसार तरमीम करवाना चाहते है।

हमारे द्वारा बहस अधिवक्ता प्रार्थी की सुनी तथा प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र तथा प्रस्तुत सभी दस्तावेज का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया। इस न्यायालय में विचाराधीन मूल वाद संख्या 46/2005 व अनवान प्रेमसिंह बनाम भंवरसिंह वगै में इस न्यायालय द्वारा दावा प्राथमिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री किया गया है, अंतिम डिक्री की पालना में ही वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य कृषि आराजीयात का विभाजन होकर खाता अलग अलग किया जाकर नामान्तरण दायर किया गया है न्यायालय की अंतिम डिक्री की पालना में खोले गये नामान्तरण में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है मौके पर जिस अनुसार कृषक काश्त कर रहे थे उसी अनुसार नक्शे में तरमीम किया जाना चाहिए था। हमारे द्वारा प्रस्तुत न्यायालय की अंतिम डिक्री का भी अवलोकन किया गया है यदि फर्द बंटवारा रिपोर्ट में दिशा अनुसार कब्जे का अंकन होता तो अंतिम डिक्री में भी उसका अंकन किया जाता किन्तु दिशा सम्बन्धी कोई अंकन फर्द बंटवारा रिपोर्ट में नहीं है। कौन कृषक किस दिशा से किस दिशा की ओर काबिज हो काश्त कर रहे है, इसका घ्यान मौके पर विभाजन करने गये राजस्व अधिकारियो/ कर्मचारियों को किया जाना होता है।

हम विपक्षी संख्या 2 के जवाब से सहमत नहीं है क्यो कि मूल वाद में हम पुनः कोई निर्णय नहीं कर रहे है बल्कि कब्जे अनुसार कृषक की तरमीम शुद्ध किये जाने के प्रार्थना पत्र को सुन रहे है। हमारी विनम्र राय से प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल आर एक्ट को सुनकर आदेश दिये जाने का अधिकार इस न्यायालय को ही प्राप्त है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता हैं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि आराजीयात मौजा महेसरा पटवार हल्का राजगढ की आराजी संख्या 234/1, 54/1, 55/1, 57/1 कुल कीता–5 कुल रकबा 0.8500 हैक्टर भूमि पर मौके अनुसार एवं प्रार्थीगण के कब्जे अनुसार राजस्व रेकार्ड के नक्शे में वर्तमान ऑन लाईन के नक्शे में भी पूर्व से पश्चिम दिशा के बजाय उत्तर से दक्षिण दिशा का अंकन जरिये शुद्धीकरण कर नक्शे में तरमीम किये जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बेगूँ को दी जाती हैं।

आदेश आज दिनांक 28.03.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
उपखण्ड अधिकारी,
बेगूँ जिला चितौडगढ़

क्रमांक/सरिश्ता/2025/203 दिनांक :– 22-3-25

प्रार्थना पत्र संख्या 102/2022 व अनवान प्रेमसिंह बनाम रूपसिंह प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर. एक्ट में न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश की प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार बेगूँ को दी जाती है।

उपखण्ड अधिकारी,
बेगूँ जिला चितौडगढ़